झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

तृतीय–सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 26.08.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04..
01–	श्री स्टीफन मराण्डी स०वि०स०	एकीकृत बिहार में वर्ष 1978 से 1992 के बीच वेतनमान पर्यवेक्षक संवर्ग के कुल 1138 नियुक्त कर्मियों की छटनी के बाद जून 1992 एकीकृत बिहार के समय क्रमशः परियोजना अधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा, लिपिक सह लेखापाल, लिपिकसहटंकक के पद पर समायोजित किया गया। राज्य विभाजन के पश्चात् बिहार सरकार अन्तर्गत समायोजित कर्मियों की विसंगतिया दूर करते हुए बिहार सरकार संकल्प संख्या 1638 दिनांक– 11.10.2006 एवं 1366, दिनांक– 15.07.2013 के आलोक में प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग बिहार पटना ने अपने पत्रांक–622 दिनांक– 02.07.2007 द्वारा प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड राँची में समायोजित होकर कार्यरत 168 पर्यवेक्षक संवर्ग के कर्मियों को बिहार की भाँति पद एवं वेतन विषंगति का निराकरण करने का अनुरोध किया परन्तु विभाग की उदासीनता के कारण उक्त संदर्भ में नीतिगत निर्णय लंबित है। अतएव झारखण्ड सरकार में कार्यरत समायोजित पर्यवेक्षक संवर्ग के कर्मियों के कल्याणार्थ मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
02–	श्री मनीष जायसवाल स०वि०स०	राज्य में झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015–16 हेतु एम०बी०बी०एस० कोर्स में नामांकन से सम्बंधित परीक्षा का आयोजन दिनांक– 14/05/2015 को रिम्स के 150 एम०जी०एम०सी०एच० (जमशेदपुर) के 100 और	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

कृ०पृ०उ०

01.	02.	03.	04.
		पी0एम0सी0एच0 (धनबाद) के 100 सीटों के लिये की गई जिसका परीक्षा फल दिनांक– 05/06/2015 को प्रकाशित कर दिनांक– 21/06/2015 से Councilling कर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त परिषद् के परीक्षा नियंत्रक व प्रशासी पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त Seat Allotment का पत्र नामांकन हेतु निर्गत कर दी जिसमें नामांकन तिथि दिनांक– 01/07/2015 से 03/07/2015 निर्धारित थी तत्पश्चात् सरकार के प्रधान सचिव ने ज्ञापांक 108 (9) स्वास्थ्य, राँची, दिनांक– 26/06/2015 के आलोक में उक्त नामांकन तिथि को अपरिहार्य कारण से दिनांक– 13/07/2015 तक के लिये स्थगित कर पुनः Medical Council Of India का हवाला देते हुए जमशेदपुर एवं धनबाद के मेडिकल कॉलेजों में 50-50 सीटों को कम कर कुल 250 सीट करते हुए पूर्व में ली गई Counselling और Seat Allotment के पत्र को रद्द कर पुनः Councilling की तिथि निकाल दी। परन्तु दिनांक– 21/06/2015 के Councilling में चयनित कुल– 350 अभ्यर्थियों में से शेष– 100 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ सरकार क्यों खेलवाड़ कर रही है ? अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर मामले पर आकृष्ट करना चाहूँगा।	
03–	श्री मनोज कुमार यादव स0वि0स0	कृपया विदित हो कि राँची जिला के सी0सी0एल0 के कोलयरी, खिलारी के डकरा चतरा जिला के N.K. पिपरवार अम्रपाली से रोजाना हजारों डम्परों में कोयला का परिवहन होता है। डम्पर मोटर भेकिल एक्ट का उल्लंघन करते हुए ओवर लोडिंग चलते है। बहुत सारे डम्परों का टैक्स फेल फीटनेश फेल होकर परिवहन कानून का उल्लंघन कर रहें है। अतः अनुरोध करता हूँ कि परिवहन कानून का उल्लंघन करने वाले मोटर वाहन मालिकों एवं कोयला आपूर्ति करने वाले सी0सी0एल0, दरभंगा हाऊस जी0एम0 सेल्स के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	खनन् एवं भुतत्व
04–	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन स0वि0स0	लातेहार जिलान्तर्गत महुआडॉड़ प्रखण्ड के बागेसखुआ (नेतरहाट) से भाया ग्राम सिरसी, करमखाड़ ग्राम बराही नदी तक बरसात में सड़क अति ही जर्जर रहने के कारण 10 (दस) पंचायतों के आदिवासी आम जनता को नेतरहाट थाना आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस पथ के निर्माण होने से महुआडॉड़ अनुमंडल आने-जाने हेतु निकटतम दूरी होगी।	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		यह उग्रवाद प्रभावित सड़क है जिसे सरयु ऐक्शन पलान के तहत निर्माण किया जाये। अतः आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की कठिनाइयों को देखते हुए उक्त पथ को शीघ्र निर्माण कराने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
05-	श्री हरिकृष्ण सिंह एवं श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	दैनिक जागरण अखबार 19 अगस्त 2015 के अंक में प्रकाशित समाचार "भूदान की 65 एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती" शीर्षक से छपी खबर की लातेहार जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय के निकट ग्राम- बाजकुम स्थित मध्य विद्यालय के समीप हरिजनों के रहने के लिए बिहार भू-दान यज्ञ समिति द्वारा लगभग 65 एकड़ जमीन हरिजन परिवार के नाम भू-दान कर दी गई थी। लेकिन भू-दान की जमीन को अंचलाधिकारी एवं अंचल कर्मियों के मिलीभगत से 65 एकड़ जमीन श्री मथुरा साव पिता- स्व0 सोहराई साव ने अपने नाम से बन्दोबस्त करा लिया। ज्ञातव्य हो कि अविलंब बन्दोबस्ती रद्द करने एवं दोषी पदाधिकारी, कर्मचारी एवं बन्दोबस्त कराने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने हेतु ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त लातेहार से मांग की गई है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में दोषी पदाधिकारी/कर्मचयारी एवं बन्दोबस्त कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई एवं बन्दोबस्ती रद्द करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 26 अगस्त, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2015-2499/वि0 स0, राँची, दिनांक- 25/8/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ खनन एवं भूतत्व विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/15
(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2015-2499/वि0 स0, राँची, दिनांक- 25/8/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

25.08.15

सुभाष/-